सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 436 दर्ज तिथिः—25.09.2024

1. कानाराम पुत्र अजाराम
2. छोगाराम पुत्र अजाराम
3. लुम्बाराम पुत्र अजाराम
4. पारूदेवी पत्नी अजाराम
   जाति राईका निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी
5. ताजाराम पुत्र गेनाराम
   जाति जाट निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.................वादी

बनाम

1. नीम्बा पुत्र हीरा
2. सरूपा पुत्र हीरा
3. सुगणीदेवी पत्नी मूलाराम
   जाति राईका निवासी बेरीगावं तहसील गुड़ामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक, एसबीआई गुड़ामालानी
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

6. तगाराम पुत्र चूनाराम
7. गंगादेवी पत्नी डूंगरराम
8. राधादेवी पत्नी रमेश कुमार
   जाति प्रजापत निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 29.05.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 46 / 5.3418 है0, 46 / 2 / 6.8392 है0, 45 / 0.0243 है0 मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है।

2. तत्पश्चात प्रकरण में बहस सुनी जाकर दिनांक 04.12.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 2018 दिनांक 31.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक / कोर्ट / 2026 / 2018 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 15.01.2026 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2830—2840 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 2830—2840 दिनांक 19.12.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 15.01.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पर दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक आपत्ति पेश की गई। तत्पश्चात स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सरूपा पुत्र हीरा की आपत्ति है कि सरूपा पुत्र हीरा को खसरा संख्या 46 / 2 में 16 बीघा आराजी दी जावे। असल में खसरा संख्या 46 / 2 का कुल रकबा करीब 42 बीघा है। प्रकरण में समस्त संयुक्त आराजी में काना पुत्र अजा का कुल हिस्सा रकबा 28 बीघा बनता है। इसी प्रकार समस्त संयुक्त आराजी में सरूपा पुत्र हीरा के हिस्से का कुल रकबा 28 बीघा बनता है। जबकि मौके पर खसरा संख्या 46 / 2 में काना पुत्र अजा 26 बीघा आराजी पर काबिज काश्त है। जबकि खसरा संख्या 46 / 2 में सरूपा पुत्र हीरा करीब 16 बीघा आराजी पर काबिज काश्त है। इस प्रकार सरूपा पुत्र हीरा खसरा संख्या 46 में करीब 12 बीघा भूमि पर काबिज काश्त है।

4. अगर खसरा संख्या 46 / 2 में सरूपा पुत्र हीरा को 16 बीघा आराजी दी जाती है तो काना पुत्र अजा को 26 बीघा आराजी शेष बचती है। इस कारण काना पुत्र अजा को अपने हक हिस्से की आराजी 28 बीघा में से केवल 02 बीघा आराजी हेतु नहर के दूसरी तरफ खसरा संख्या 46 में जाना होगा। इस प्रकार काना पुत्र अजा को दो जगह आराजी प्राप्त होगी। इससे काना पुत्र अजा की 02 बीघा आराजी का एक छोटा सा टुकड़ा अलग–थलग प्राप्त होगा। जबकि सरूपा पुत्र हीरा का पहले से ही दो खसरों में कब्जा काश्त है। अगर सरूपा पुत्र हीरा को खसरा संख्या 46 / 2 में 16 बीघा के स्थान पर 14 बीघा आराजी दी जाती है और शेष 28 बीघा आराजी इसी खसरे में काना पुत्र अजा को पूर्ण हो जाएगी। इससे काना पुत्र अजा की आराजी का बिना वजह विखण्डन नहीं होगा। साथ ही सरूपा पुत्र हीरा की खसरा संख्या 46 / 2 में 16 बीघा के स्थान पर 14 बीघा आराजी प्रदान करने से कम हुई 02 बीघा आराजी को खसरा संख्या 46 में पहले से ही सरूपा पुत्र हीरा के 12 बीघा कब्जे काश्त सेढे प्रदान किया जा सकता है। इससे किसी को भी असुविधा नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा की गई कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति निराधार एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है।

5. प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074–2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट एवं कुर्रेजात व नजरी नक्शा पर का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण संयुक्त आराजी खसरा संख्या 46 / 5.3418 है0, 46 / 2 / 6.8392 है0, 45 / 0.0243 है0 मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य

विधिक तकासमा नहीं हुआ है। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

7. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

8. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

9. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 46/5.3418 है0, 46/2/6.8392 है0, 45/0.0243 है0 मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
कानाराम पुत्र अजाराम	20601/91540	बेरीगांव	46/2	4.5770 है0	बा0सो0
छोगाराम पुत्र अजाराम	20601/91540				
लुम्बाराम पुत्र अजाराम	20601/91540				
पारूदेवी पत्नी अजाराम	20601/91540				
जाति रैबारी (देवासी) सा0 देह खातेदार रहन कानाराम, छोगाराम, लुम्बाराम, पारूदेवी का हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी					
ताजाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	2284/22885				
कुल किता 01 रकबा 4.5770 है0					
सरूपाराम पुत्र हीराराम	3/5	बेरीगांव	45 46/2	0.0243 है0 2.2662 है0	गै0मु0 बा0सो0
नीम्बा पुत्र हीराराम फौत के कायम मुकाम शांति पुत्री नीम्बाराम धापूदेवी पुत्री नीम्बाराम अणसीदेवी पुत्री नीम्बाराम अमरू पुत्री नीम्बाराम मफीदेवी पुत्री नीम्बाराम काणीदेवी पुत्री नीम्बाराम जाति रैबारी सा0 देह खातेदार रहन—सरूपा पूर्ण हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी	 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15 1/15				
कुल किता 02 रकबा 2.2865 है0					
सरूपा पुत्र हीराराम	3/5	बेरीगांव	46	5.3418 है0	बा0सो0
नीम्बा पुत्र हीराराम फौत के कायम मुकाम शांति पुत्री नीम्बाराम धापूदेवी पुत्री नीम्बाराम अणसीदेवी पुत्री नीम्बाराम अमरू पुत्री नीम्बाराम मफीदेवी पुत्री नीम्बाराम काणीदेवी पुत्री नीम्बाराम जाति रैबारी सा0 देह सुगणी देवी पत्नी मूलाराम जाति कुम्हार सा0 रामसर बाड़मेर	 61/990 61/990 61/990 61/990 61/990 61/990 1/33				
कुल किता 01 रकबा 5.3418 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 436 दर्ज तिथिः—25.09.2024

1. कानाराम पुत्र अजाराम
2. छोगाराम पुत्र अजाराम
3. लुम्बाराम पुत्र अजाराम
4. पारूदेवी पत्नी अजाराम
   जाति राईका निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी
5. ताजाराम पुत्र गेनाराम
   जाति जाट निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.................वादी

बनाम

1. नीम्बा पुत्र हीरा
2. सरूपा पुत्र हीरा
3. सुगणीदेवी पत्नी मूलाराम
   जाति राईका निवासी बेरीगावं तहसील गुड़ामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

4. शाखा प्रबंधक, एसबीआई गुड़ामालानी
5. तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुड़ामालानी

.............तकमीली प्रतिवादीगण

6. तगाराम पुत्र चूनाराम
7. गंगादेवी पत्नी डूंगराराम
8. राधादेवी पत्नी रमेश कुमार
   जाति प्रजापत निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

.................असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 46/5.3418 है0, 46/2/6.8392 है0, 45/0.0243 है0 मौजा बेरीगांव पटवार मण्डल बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

<table>
<tr><th>खातेदार</th><th>हिस्सा</th><th>ग्राम</th><th>खसरा</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th></tr>
<tr><td>कानाराम पुत्र अजाराम</td><td>20601 / 91540</td><td rowspan="6">बेरीगांव</td><td rowspan="6">46 / 2</td><td rowspan="6">4.5770 है0</td><td rowspan="6">बा0सो0</td></tr>
<tr><td>छोगाराम पुत्र अजाराम</td><td>20601 / 91540</td></tr>
<tr><td>लुम्बाराम पुत्र अजाराम</td><td>20601 / 91540</td></tr>
<tr><td>पारूदेवी पत्नी अजाराम</td><td>20601 / 91540</td></tr>
<tr><td colspan="2">जाति रैबारी (देवासी) सा0 देह खातेदार रहन कानाराम, छोगाराम, लुम्बाराम, पारूदेवी का हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी</td></tr>
<tr><td>ताजाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार</td><td>2284 / 22885</td></tr>
<tr><td colspan="6">कुल किता 01 रकबा 4.5770 है0</td></tr>
<tr><td>सरूपाराम पुत्र हीराराम</td><td>3 / 5</td><td rowspan="2">बेरीगांव</td><td rowspan="2">45
46 / 2</td><td rowspan="2">0.0243 है0
2.2662 है0</td><td rowspan="2">गै0मु0
बा0सो0</td></tr>
<tr><td>नीम्बा पुत्र हीराराम
फौत के कायम मुकाम
शांति पुत्री नीम्बाराम
धापूदेवी पुत्री नीम्बाराम
अणसीदेवी पुत्री नीम्बाराम
अमरू पुत्री नीम्बाराम
मफीदेवी पुत्री नीम्बाराम
काणीदेवी पुत्री नीम्बाराम
जाति रैबारी सा0 देह खातेदार रहन—सरूपा पूर्ण हिस्सा एसबीआई गुड़ामालानी</td><td>1 / 15
1 / 15
1 / 15
1 / 15
1 / 15
1 / 15</td></tr>
<tr><td colspan="6">कुल किता 02 रकबा 2.2865 है0</td></tr>
</table>

सरूपा पुत्र हीराराम	3/5	बेरीगांव	46	5.3418 है0	बा0सो0
नीम्बा पुत्र हीराराम फौत के कायम मुकाम शांति पुत्री नीम्बाराम धापूदेवी पुत्री नीम्बाराम अणसीदेवी पुत्री नीम्बाराम अमरू पुत्री नीम्बाराम मफीदेवी पुत्री नीम्बाराम काणीदेवी पुत्री नीम्बाराम जाति रैबारी सा0 देह सुगणी देवी पत्नी मूलाराम जाति कुम्हार सा0 रामसर बाड़मेर	61/990 61/990 61/990 61/990 61/990 61/990 1/33				
कुल किता 01 रकबा 5.3418 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी